न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार बलाई

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
20 / 2024	22.04.2024	07.07.2025

बउनवान

1. सतबीर पुत्र फूलचन्द निवासी जाट बहरोड तह0 मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0।

—: प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0।

—: अप्रार्थी

1. रणधीर पुत्र फूलचन्द निवासी जाट बहरोड तह0 मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0।
2. सुबेसिंह पुत्र फूलचन्द निवासी जाट बहरोड तह0 मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0।
3. सूरजभान पुत्र फूलचन्द निवासी जाट बहरोड तह0 मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा राज0।

—: तर0 अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र – अन्तर्गत धारा 136
भू0 राजस्व अधिनियम 1956

श्री अनिल यादव :– प्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार निम्न प्रकार से है कि :–

1. यह है कि आराजी हाल ख0नं0 1507 रकबा 0.27 हैक०, वाके ग्राम जाटबहरोड तह० मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा, राज० में स्थित है। जो आराजी उक्त प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी।
2. यह है कि उक्त विवादित आराजी हाल ख0नं0 1507 रकबा 0.27 हैक०, के साबिक ख0न0 1189 रकबा 0.27 हैक०, से सैटलमेंट के द्वौरान भू प्रबन्ध विभाग द्वारा पेमूद किया गया है। मिलान क्षेत्रफल संलग्न प्रार्थना पत्र है।
3. यह है कि पक्षकारान के खानदान का सजरा निम्न प्रकार है।

फूलचन्द (फौत)

सुबेसिंह पुत्र	रणधीर पुत्र	सुरजभान पुत्र	सतबीर पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

4. यह है कि उक्त आराजी मिन मिन प्रार्थी व तर० अप्रार्थीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है।

5. यह है कि उक्त आराजी ख०न० हाल 1507 रकबा 0.27 हैक्0, में मिन प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारीयो द्वारा सहवन से दर्ज करने से रह गया। जबकि तर० अप्रार्थी का नाम दर्ज कर दिया है। जबकि जमाबन्दी सम्वत् 2065–2058 में मिन प्रार्थी का नाम दर्ज है। तथा जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072 में भी मिन प्रार्थी का नाम चला आ रहा है। लेकिन जमाबन्दी सम्वत 2071 के बाद सैटलमेन्ट विभाग द्वारा नई जामबन्दी बनाते समय मिन प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारीयो की गलती से दर्ज करने से रह गया। जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

6. यह है कि प्रार्थी को उक्त राजस्व रिर्कोड में गलत इन्द्राज की जानकारी नही थी, लेकिन अब दिनांक 30/3/2024 को मिन प्रार्थी को राजस्व रिर्कोड की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से सर्म्पक किया तथा राजस्व रिर्कोड की नकल प्राप्त की तो उक्त गलत अंकन की जानकारी हुयी, जिसकी जानकारी होने पर मिन प्रार्थी, अप्रार्थी से सर्म्पक किया तथा राजस्व रिकॉड दूरुस्त करने बाबत कहा तो अप्रार्थी ने सक्षम अदालत श्रीमान से आदेश कराने बाबत कहा, जिस पर अविलम्ब ही प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया जा रहा है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि :–

- अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मिन प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, आराजी हाल ख०न० 1507 रकबा 0.27 हैक्0 वाके ग्राम जाटबहरोड मे मिन प्रार्थी को 1/4 हिस्से खातेदार घोषित किया जाकर मिन प्रार्थी का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान कर, राजस्व रिर्कोड शुद्ध किया जाने के आदेश फरमाया जाने की कृपा करे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थी की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के संबंध मे तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो शामील पत्रावली है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी हाल, जमाबन्दी सम्वत 2071, जमाबन्दी सम्वत 2065–69, जमाबन्दी सम्वत 2069–72, मिलान क्षेत्रफल पेश किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के समर्थन में बहस के दौराने कथन कहे कि प्रार्थी का नाम विवादित आराजी के साबिक रिकोर्ड में दर्ज राजस्व रिकोर्ड दर्ज है, परन्तु वर्तमान सैटमेन्ट ने प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड से हटा दिया गया। जो गलत है। क्योकि प्रार्थी का नाम साबिक रिकार्ड मे है, आराजी ख०न० हाल 1507 रकबा 0.27 हैक्0, में मिन प्रार्थी का नाम सहवन से दर्ज करने से रह गया। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर आराजी हाल ख०न० 1507 रकबा 0.27 हैक्0 वाके ग्राम जाट बहरोड मे मिन प्रार्थी को 1/4 हिस्से खातेदार घोषित किया जाकर मिन प्रार्थी का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर आराजी हाल ख०न० 1507 रकबा 0.27 हैक्0 वाके ग्राम जाट बहरोड मे मिन प्रार्थी को 1/4

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

हिस्से खातेदार घोषित किया न्यायोचित पाता है। इसलिए यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थना पत्र को स्वीकर किया जाता है कि आराजी हाल ख०न० 1507 रकबा 0.27 है0 वाके ग्राम जाटबहरोड मे प्रार्थी को 1/4 हिस्से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

Scanned with OKEN Scanner